ce-cost for different commodities cannot be arrived at with certainty as the costs keep changing. The Studies on which NTPC findings are based. have been conducted by RITES. The conclusions in these studies are not above dispute.

(d) The diesel requirement for per tonne KM haulage is about 5 to 6 times the requirement of fuel for rail transport.

(c) The measure for judicious use of scarce fuel and for elimination of wastage of fuel have been brought to the notice of the State Governments. The subject was also discussed in the TDC meeting on 2-8-80 and the members advocated the adoption of these steps in the State Road Transport Undertakings as well as by private operators.

मंदिर मार्ग के निवासियों को नार्थ एवेन्यु में चिकित्सा सुविधायें देना

3483. **श्री दया राम शाक्य :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जे ब्लाक मंदिर मार्ग में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को इलाज के लिये गोल मार्किट डिस्पेंसरी जाना पड़ता है ।

(ख) क्या उस क्षेत्र में उचित परिवहन सुविधा न होने के कारण इन कर्मचारियों को अत्याधिक असुविधा होती है ;

(ग) सरकार द्वारा इन कर्मचारियों को नार्थ एवेन्यू डिस्पेंसरी से चिकित्सा सुविधायें न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार इन लोगों को नार्थ एवेन्यू डिस्पेंसरी से चिकित्सा सुविधायें देने पर विचार करेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) :

(क) जी, हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ) गोल मार्केट स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना डिस्पेंसरी जे ब्लाक, मंदिर मार्ग के पास ही है । सामान्यत: एक डिस्पेंसरी के अंतर्गत उसके आसपास के 3 किलोमीटर का क्षेत्र आता है । इसलिए, इस क्षत्र को गोल मार्किट डिस्पेंसरी से हटाकर नार्थ एवेन्यू डिस्पेंसरी के साथ सम्बद्ध करने का कोई औचित्य नहीं है ।

मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली के "जे" तथा "एच" ब्लाकों के निवासियों के लिये चलते-फिरते औषधालय की व्यवस्था :

3484. **श्री दया राम शाक्य :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मन्दिर मार्ग स्थित "जे" तथा "एच" ब्लाकों के सरकारी कर्मचारियों को अपने इलाज के लिए केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना की गोल मार्किट स्थित डिस्पेंसरी में जाना पड़ता है ;

(ख) निवासियों की असुविधा को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार उक्त बस्ती में एक आयुर्वेदिक अथवा एलोपैथिक डिस्पेंसरी खोलने का है और यह कब तक खोल दी जायेगी; और

(ग) क्या उक्त डिस्पेंसरी खुलने तक वहां के लिए एक चलते-फिरते औषधालय की सेवायें उपलब्ध कराई जायेंगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) गोल मार्किट स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना डिस्पेंसरी मंदिर मार्ग के "जे" तथा "एच" ब्लाकों से कुछ ही दूर पर है । इसलिये इस क्षेत्र में और ऐलोपैथिक डिस्पेंसरी या गश्ती औषधालय उपलब्ध करने का कोई औचित्य नहीं है । आयुर्वेदिक उपचार के लिये गोल मार्किट में एक आयुर्वेदिक यूनिट पहले से ही चल रहा है जो इस क्षेत्र को कवर करता है ।

Railway Commission

3485. SHRI BHEEKHABHAI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) how many railway commissions have been set up by his Ministry;

(b) the number of members of Scheduled Tribes nominated on such commissions, Commission-wise and year-wise, since their inception; and

(c) if not, the reasons thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) Eight.

(b) and (c). Appointment to the posts of Chairman and Member Secretaries of the Railway Service Commissions is made in accordance with the Recruitment Rules framed for this purpose. No quota is specifically reserved, but candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes and Minority Communities, whenever available, are included in the panel and sent to the Union Public Service Commission for final selection. Shri R. K. Das, a Scheduled Tribe candidate, is at present functioning as Member Secretary from 20-10-78 in the Railway Service Commission at Gauhati.

Recruitment for Class III Services

3486. SHRI BHEEKHABHAI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) Whether it is a fact that different railway commissions have been set up for recruitment to class III services;

(b) if so, whether it is a fact that the Western and Central Railways have got one Commission alone;

(c) whether it is a fact that the work-load of two zones could not be handled by one railwaay commission;

(d) whether the Railway Board propose to set up a separate railway commission for Western Zone at Ajmer;

(e) if so, when; and

(f) if not, why?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) and (b). The allocation of the Railway Service Commissions and their jurisdiction are as under:—

Location	Jurisdiction
Allahabad	Northern Railway, Varanasi Division of N.E. Rly. and Diesel Locomotive Works, Varanasi.
Bombay	Central and Western Railways.
Calcutta	Eastern and South Eastern Railways & Chittaranjan Locomotive Works, Chittaranjan.